



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9489

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42511 / 2025

विनोद.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....प्रतिवादी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : नूर मुहम्मद, योगेश कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बिरजेंद्र कुमार को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया।

यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें उसे पुलिस थाना जलेसर, जिला एटा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 286/2002, उत्तर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदेश गिरोहबंद और समाज प्रतिवादी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त मामले में, आवेदक को दिनांक 07.06.2006 के आदेश द्वारा जमानत दी गई थी। इसके बाद, आवेदक कई तिथियों पर अवर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। निचली अदालत ने 30.03.2019 को आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया। इसके बाद, आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण किया। आवेदक का आठ आपराधिक मामलों का इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण जमानत याचिका के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दिया गया है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं कर सके।

सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, लेकिन मामले के गुणागुण पर टिप्पणी किए बिना, यह जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अतः अभियुक्त - आवेदक **विनोद**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक नियत तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी भंग होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

14 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।